न्यायालय:— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क.-587/09</u> संस्थित दिनांक- 14.12.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

- 1. बृजेन्द्र सिंह पुत्र चारू सिंह सिख उम्र 43 साल

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 21.05.2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 66 / 192 (क), 39 / 192, 190 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.12.2009 को समय 11:10 बजे अशोकनगर चंदेरी रोड पर थूबोन में बस कमांक M.P. 08 P 0150 को बिना परिमट, बिना रिजस्ट्रेशन एवं बिना फिटनेश सर्टिफिकेट एवं समक्षता से अधिक सवारियां भरकर लोक मार्ग पर चलाया अथवा चलाने के कारण बनें।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.12.09 को सहायक उपनिरीक्षक बसन्त राय गायकवाड के द्वारा 11:10 बजे अशोकनगर चंदेरी मार्ग पर थूबोन में वाहन चैंकिंग के दौरान बस कमांक M.P. 08 P 0150 पाण्डे बस को चैंक किया तो बस के अंदर 42 सवारियां व बस की छत पर 14 सवारिया बैठी, जिस पर से सहायक उपनिरीक्षक बसंत राव गायकवाड के द्वारा मौके पर ही चालानी कार्यवाही करते हुये चालक व कन्डेक्टर के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 66 / 192 (क), 39 / 192 (ख) व (ड), 56 / 192 (ग) के तहत् प्रदर्श पी 01 का पंचनामा साक्षियों के समक्ष तैयार कर उक्त धाराओं में कार्यवाही के किये जाने इस्तगासा 02 / 09 अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झुठा फंसाया गया है।
- 04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.12.2009 को समय
 11:10 बजे अशोकनगर चंदेरी रोड पर थूबोन में बस

	कमांक M.P. 08 P 0150 को बिना परिमट एवं क्षमता से अधिक सवारियां भरकर परिमट की शर्तों का उल्लंघन कर लोक मार्ग पर चलाया अथवा चलाने के कारक बनें ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बस क्रमांक M.P. 08 P 0150 को बिना रजिस्ट्रेशन के लोक मार्ग पर चलाया अथवा चलाने के कारक बनें ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बस कमांक M.P. 08 P 0150 को बिना फिटनेश सर्टिफिकेट के लोक मार्ग पर चलाया अथवा चलाने के कारक बनें ?
	`

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01, 02, 03 एवं 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

|दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

- 05— सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 06— सहायक उपनिरीक्षक बसन्त राय गायकवाड (अ०सा0-03) का अपने न्यायालीन कथनो में कहना है कि दिनांक 13.12.2009 को उनके द्वारा पाण्डे बस पर वाहन चेंकिंग के दौरान चालानी कार्यवाही की थी तथा पाण्डे बस में उस समय बस के अंदर व उपर ऑवर सवारियां पाई थी व चालक के पास बस के कागजात भी नही थे। इस साक्षी का कहना है कि उसने बस कन्डेक्टर के उपर भी कार्यवाही की थी वाहन 35 सीटर था, जिस पर 42 सवारियां अंदर व 15 से 16 सवारियां उपर थी तथा इस साक्षी के अनुसार बस में 20 से 21 सवारियां अधिक पाये जाने पर चालानी कार्यवाही की गई थी।
- 07— बसन्त राय गायकवाड (अ०सा०-03) ने अपने न्यायालीन कथनों चालानी कार्यवाही पाण्डे बस पर करना बताया है तथा कार्यवाही का कारण बस में क्षमता से अधिक सवारिया होना व कागजात चालक के पास न होना बताया है। बसंत राव (अ०सा0-03) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट नही किया है कि बस कौन डाईवर चला रहा था तथा उसमें कौन कन्डेक्टर था, परन्तु इस साक्षी का यह कहना है कि बस पाण्डे बस थी। अभियोजन की ओर से हमराह आरक्षक अरविन्द सिंह (अ०सा०–०२) के कथन न्यायालय में कराये है। जिसमें इस साक्षी ने दिनांक 13.12.09 को बसन्त राय गायकवाड़ (अ0सा0–03) के द्वारा

पाण्डे बस पर की गई चालानी कार्यवाही की पुष्टि करते हुये यह स्पष्ट किया है कि बस में कन्डेक्टर अभियुक्त वीरपाल था तथा ड्राईवर महू का था।

- 08— आरक्षक अरविन्द सिंह (अ०सा०—02) ने अपने न्यायालीन कथनो में यह स्पष्ट किया है कि बस के अंदर 40 से 42 सवारिया थी तथा बस के उपर 14 से 15 सवारियां थी, जिसके संबंध में दरोगाजी ने प्रदर्श पी 01 का पंचनामा साक्षी जोत सिंह (अ०सा०—01) के समक्ष तैयार कर इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस साखी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया है कि बस सफेद कलर की थी, जिसमें पाण्डे बस लिखा था तथा बस के अंदर व उपर सावरियों की संख्या अधिक थी। अरविन्द सिंह (अ०सा०—02) ने चालानी कार्यवाही मंदिर के पास किया जाना बताया है, जिसके संबंध में और जोत सिंह (अ०सा०—01) ने घटना के समर्थन में कथन न्यायालय में नही दिये है, परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में प्रदर्श पी 01 के पंचनामें पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है तथा पुलिस के द्वारा मंदिर पर हस्ताक्षर करना बताया है।
- 09— बसन्त राय गायकवाड़ (अ०सा०—03) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.12.09 को अशोकनगर चंदेरी मार्ग पर थूबोन में क्षमता से अधिक सवारियां परिवहन किये जाने पर उसके द्वारा पाण्डे बस के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई थी तथा चालक के पास गाडी के कागजात नहीं थें तथा इस साक्षी के अनुसार कन्डेक्टर पर भी उसके द्वारा कार्यवाही की गई थी। अरविन्द सिंह (अ०सा0—02) ने बसन्त राय गायकवाड़ (अ०सा0—03) के कथनों की पुष्टि करते हुये पाण्डे बस के विरुद्ध बसन्त राय गायकवाड़ (अ०सा0—03) के द्वारा क्षमता से अधिक सवारिया परिवहन किये जाने व गाडी के कागजात न पाये जाने पर कन्डेक्टर वीरपाल व ड्राईवर निवासी महू के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करने की पुष्टि की है। इन साक्षियों ने भले ही पाण्डे बस का नंबर अपने कथनों में नही बताया है, परन्तु उक्त वाहन M.P. 08 P 0150 प्रकरण में जप्त किया गया, जो न्यायालय से सुपुर्दगी पर भी प्राप्त किया गया।
- 10— घटना को काफी अधिक समय हो जाने के बाद पुलिस साक्षियों अरविन्द सिंह (अ0सा0—02) ने बसन्त राय गायकवाड़ (अ0सा0—03) से यह अपेक्षा नही की जाती है कि वह बस में बैठी सवारियों का नाम व बस का नंबर इतने वर्ष के बाद भी बता सकें। इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन दिये है कि पाण्डे बस के संबंध में मौके पर चालानी कार्यवाही की गई थी तथा उक्त बस प्रकरण में जप्त होकर सुपुर्दगी पर भी दी गई थी। अतः ऐसे मेंमौके पर बसन्त राय गायकवाड़ (अ0सा0—03) के द्वारा की गई प्रदर्श पी 01 की चालानी कार्यवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं रह जाता है।
- 11— बचाव पृक्ष की ओर से भी यह प्रतिरक्षा नहीं है कि घटना दिनांक को पाण्डे बस कमांक M.P. 08 P 0150 के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर बस जप्त की गई थी, अभियुक्त की यह प्रतिरक्षा नहीं है कि उक्त बस पर कन्डेक्टर के रूप में वीरपाल चलता था तथा

(4)

बस को विजेन्द्र सिंह निवासी महू चलाता था। इन दोनों ही साक्षियों की ओर से अपने बचाव में जप्तशुदा बस के संबंध में कोई मूल दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह दर्शित होता हो कि बसन्त राय गायकवाड़ (अ0सा0–03) के द्वारा जिस जप्तशुदा बस के संबंध में चालानी कार्यवाही की गई थी, उसका घटना दिनांक को अभियुक्त के पास रजिस्ट्रेशन तथा फिटनेस सर्टिफिकेट था तथा बस परमिट के अनुसार ही रूट पर चल रही थी। बस में क्षमता से अधिक सवारी बसन्त राय गायकवाड़ (अ0सा0–03) के द्वारा पाई गई थी, इस संबंध में इस साक्षी की साक्ष्य अखण्डित है जिसकी पृष्टि हमराह आरक्षक अरविन्द सिंह (अ0सा0–02) के द्वारा की गई।

- 12— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि के अभियुक्तगण ने दिनांक 13.12.2009 को समय 11:10 बजे अशोकनगर चंदेरी रोड पर थूबोन में बस क्रमांक M.P. 08 P 0150 को बिना परिमट, बिना रिजस्ट्रेशन एवं बिना फिटनेश सर्टिफिकेट के एवं क्षमता से अधिक सवारियां भरकर परिमट की शर्तों का उल्लंघ ान कर लोक मार्ग पर चलाया अथवा चलाने के कारक बनें।
- 13—फलतः अभियुक्तगण बृजेन्द्र सिंह पुत्र चारू सिंह सिख एवं वीरपाल सिंह पुत्र संतोष सिंह यादव को मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 क, 39/192, 190 के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 क, 39/192, 190 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 14—अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वर्ष 2009 से न्यायालय में लंबित है। अभियुक्तगण पर पूर्व की कोई दोष सिद्धि अभिलेख पर नहीं है। इसको देखते हुये अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित कर न्याय के उददेश्य की पूर्ति हो सकती है।
- 15—अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण बृजेन्द्र सिंह पुत्र चारू सिंह सिख, वीरपाल सिंह पुत्र संतोष सिंह यादव को मोटरयान अधिनियम की धारा 66 / 192 क के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप प्रत्येक अभियुक्त को 2000 / रूपये (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे। मोटरयान अधिनियम की धारा 39 / 192 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप प्रत्येक अभियुक्त को 2000 / रूपये (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे। मोटरयान अधिनियम की धारा 190 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप प्रत्येक अभियुक्त को 250 / रूपये (दो सौ पचास रूपये)

के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 01 दिवस (एक दिवस) का पृथक से कारावास भूगताया जावे।

16—अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति वाहन M.P. 08 P 0150 पूर्व से उसके पंजीकृत वाहन की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा वाद मियाद अपील भारमुक्त समक्षा जावेगा। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)